(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 96 (आर.ई.- 2010)/2009-2014

नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी, 2012

विषयः- प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य ।

सां0आ0(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, अधिसूचना सं0 75 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 20.09.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं0 94 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 11.01.2012 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है ।

2. अधिसूचना सं0 75 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 20.09.2011 की क्रम सं0 44.01 के मद विवरण के लिए अधिसूचना सं0 94 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 11.01.2012 के पैरा 2(i) में आने वाले वाक्यांश ''पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 150 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित'' को वाक्यांश ''पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 125 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर सभी किस्मों के प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 125 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन होगा । यह दिनांक 11.01.2012 को यथाअधिसूचित साधारण श्रेणी प्याज के लिए 150 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था । बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 250 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन जारी रहेगा ।

(अनुप के. पूजारी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई-मेलः dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/91/180/922/एएम 08/पीसी-III/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)